# प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) के लेखे के समुचित अनुरक्षण और उनकी लेखापरीक्षा पर तकनीकी दिशा निर्देशन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) के निर्बंधनों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं। अध्याय–I में राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के कार्यकलापों का संक्षिप्त प्रस्तावना के साथ लेखों पर आडिट आपत्तियॉ एवं टिप्पणी है। अध्याय–II ''उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में जिला नियोजन समिति की कार्यप्रणाली'' पर विषय वस्तु केन्द्रित लेखापरीक्षा के बारे में है तथा अध्याय–III लेन–देनों की लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा आपत्तियों के विषय में है।

प्रतिवेदन में उन प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है जो वर्ष 2010–11 की अवधि में नमूना जॉच में संज्ञान में आये है। अप्रैल, 2010 से मार्च 2011 की अवधि में 2223 पंचायती राज संस्थाओं के लेखें एवं अन्य अभिलेखों की जॉच किया गया है।